राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3869/2024

श्रीमती कविता देवल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रभा दायमा वरिष्ठ अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.12.2024
आदेश की दिनांक : 18.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2011 में हुई थी और दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण चाकसू, जयपुर में किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा सेटअप परिवर्तन करते हुये वरिष्ठ अध्यापक की श्रेणी में शुमार कर आदेश दिनांक 14.11.2024 की पालना में अपीलार्थी

का आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा बनीपार्क, जयपुर स्थानांतरण किया गया है। जबकि अधिशेष सूची में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं है और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बनीपार्क, जयपुर किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण शास्त्री नगर, जयपुर से बनीपार्क, जयपुर किया गया है, जो महज 10 कि.मी. के अंदर जयपुर शहर में ही हुआ है और इस प्रकार हमारे मत में किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष